न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1272 / 2024
अनवान : –

1. ओमकला पुत्री मोहरसिंह पत्नी महेन्द्रसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर हाल निवासी रेवासी तहसील तारानगर जिला चुरू।

– वादी

बनाम्

1. मांगेराम पुत्र राजेराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. सतपालसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
3. मोहरसिंह पुत्र राजेराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
4. इन्द्रावती पुत्री मोहरसिंह पत्नी राजेश कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
5. गिरदावरी पुत्री राजेराम पत्नी सोहनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर हाल निवास केहरवाला तहसील व जिला सिरसा।
6. विमला पुत्री राजेराम पत्नी दलिप जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर हाल निवसी केहरवाला तहसील व जिला सिरसा।
7. राजेराम पुत्र भीयाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 17/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 197 / 197 की कुल 5.5390 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 व 2 प्रत्येक के नाम व खाता स0 107 / 107 की कुल 3. 3370 हैक्ट में से 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 व 2 प्रत्येक के नाम व खाता स0 178 / 191 की कुल 2.9340 हैक्ट भूमि में से में से 1 / 8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 व 2 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की पूर्व में वादीया के पड़दादा के नाम दर्ज थी जो की नियमानुनसा पीढी दर पीढी चली आ रही है हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम सन 1956 व संशोधित हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम सन 2005 की दफा 6 व 6 के अनुसार संयुक्त [illegible] की तीनों पीढीयों व नीचे की तीनों पीढीयों तक हक व हिस्सा होता है [illegible] पैतृक भूमि होने के कारण वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 2 [illegible] 6 का [illegible] हिस्सा है। भीया[illegible] पुत्र पूर्ण जाति कुम्हार साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर उसके दो लड़को [illegible]राम व राजेराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.22 10:04:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी स0 7 पर बतौर कर्ता संयुक्त हिन्दु खानदान पर औद हुई उसके वादिया व प्रतिवादी स0 2 ता 6 का प्रतिवादी स0 7 के साथ जन्म से हक हिस्सा है व नियमानुसार हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम व संशोधित हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम सन 2005 के अनुसार बनता है। उक्त भूमि प्रतिवादी स0 7 ने बतौरकर्ता संयुक्त हिन्दू खानदान दर्ज होने का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने नाजायज साजिसाना प्रतिवादी स0 7 की वृद्धा अवस्था का फायदा उठाकर वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 को उनके नियमानुसार प्राप्त होने वाले हक व हिस्सा वंचित करने के लिए प्रतिवादी स0 1 ने प्रतिवादी सं0 7 से उक्त समस्त भूमि में से 1/2 हिस्सा का एक दिखावटी हक से ज्यादा दानपत्र दिनांक 21.08.2021 को अपने पक्ष में रजिस्टर्ड करवा लिया तथा इस प्रकार प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादी स0 3 ने प्रतिवादी स0 7 जो की वृद्ध भोला भाला व्यक्ति है एक दिखावटी व साजिसाना बैयनामा दिनांक 21.08.2020 को प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में हक से ज्यादा तस्दीक रजिस्टर्ड करवा दिया है जबकि प्रतिवादी स0 7 को उक्त समस्त भूमि का दानपत्र व बैयनामा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में करवाने का अधिकारी नही था प्रतिवादी स0 7 केवल अपने हक व हिस्सा यानि की 1/5 हिस्सा तक ही दानपत्र बैयनामा करवाने का अधिकारी था इसलिए दिनांक 21.08.2020 को किया गया बैयनामा वादीया व प्रतिवादी स0 4 ता 6 के हकों के मुकाबले शुन्य व प्रभावहीन है एवं वाद भूमि पैतृक होने के कारण उक्त तीनों खातों की भूमि में वादीया 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 अकेला 3/10 हिस्सा व प्रतिवादी स0 2 अकेला 3/20 हिस्सा व प्रतिवादी स0 3 अकेला 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी स0 5 अकेली 1/5 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है एवं वादीया इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है उसे अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी स0 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जावे। अधिवक्ता वादी ने आरआरटी 2023(1) पेज न0 372 ता 375 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.22 10:04:53 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य में वादीया के द्वारा शपथ पत्र पेश किया जाकर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की पूर्व में वादीया के पड़दादा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के नाम दर्ज थी जो की नियमानुनसा पीढी दर पीढी चली आ रही है। वाद भूमि पुरानी दादालाई पैतृक भूमि होने के कारण वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 का जन्मजात हक हिस्सा है। भीयाराम पुत्र पूर्ण जाति कुम्हार साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर उसके दो लड़को सुरजाराम व राजेराम प्रतिवादी स0 7 पर बतौर कर्ता संयुक्त हिन्दु खानदान पर औद हुई उक्त भूमि प्रतिवादी स0 7 ने बतौरकर्ता संयुक्त हिन्दू खानदान दर्ज होने का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने नाजायज साजिसाना प्रतिवादी स0 7 की वृद्धा अवस्था का फायदा उठाकर वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 को उनके नियमानुसार प्राप्त होने वाले हक व हिस्सा वंचित करने के लिए प्रतिवादी स0 1 ने प्रतिवादी सं0 7 से उक्त समस्त भूमि में से 1/2 हिस्सा का एक दिखावटी हक से ज्यादा दानपत्र दिनांक 21.08.2021 को अपने पक्ष में रजिस्टर्ड करवा लिया तथा इस प्रकार प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादी स0 3 ने प्रतिवादी स0 7 जो की वृद्ध भोला भाला व्यक्ति है एक दिखावटी व साजिसाना बैयनामा दिनांक 21.08.2020 को प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में हक से ज्यादा तस्दीक रजिस्टर्ड करवा दिया है जबकि प्रतिवादी स0 7 को उक्त समस्त भूमि का दानपत्र व बैयनामा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में करवाने का अधिकारी नही था प्रतिवादी स0 7 केवल अपने हक व हिस्सा यानि की 1/5 हिस्सा तक ही दानपत्र बैयनामा करवाने का अधिकारी था इसलिए दिनांक 21.08.2020 को किया गया बैयनामा वादीया व प्रतिवादी स0 4 ता 6 के हकों के मुकाबले शुन्य व प्रभावहीन है एवं वाद भूमि पैतृक होने के कारण उक्त तीनों खातों की भूमि में वादीया 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 अकेला 3/10 हिस्सा व प्रतिवादी स0 2 अकेला 3/20 हिस्सा व प्रतिवादी स0 3 अकेला 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी स0 5 अकेली 1/5 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है एवं वादीया इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 197/197 की कुल 5.5390 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 व 2 प्रत्येक के नाम व खाता स0 107/107 की कुल 3.3370 हैक्ट में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 व 2 प्रत्येक के नाम व खाता स0 178/191 की कुल 2.9340 हैक्ट भूमि में से में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 व 2 प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है बैयनामा व दस्तबरदारी की चित्रप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि में से प्रतिवादी स0 7 द्वारा अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का दानपत्र प्रतिवादी स0 1 व 2 के पक्ष में किया गया है। वादीया का कथन है कि उक्त भूमि पैतृक होने के कारण वादीया का भी उक्त भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.22 10:04:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जन्मजात हक हिस्सा है एवं प्रतिवादी स0 7 द्वारा अपने हक हिस्सा से ज्यादा किया गया बैयनामा/दानपत्र शुरू से ही शुन्य व प्रभावहीन है व अपनो कथनों के समर्थन में आरआरटी 2023(1) पेज न0 372 ता 375 न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये है जो उक्त प्रकरण पर चस्पा होते है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों ए के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 197/197 की कुल 5.5390 हैक्ट भूमि व खाता स0 107/107 की कुल 3.3370 हैक्ट भूमि व खाता स0 178/191 की कुल 2.9340 हैक्ट भूमि में से में से 1/4 हिस्सा भूमि उक्त तीनो खातों में वादीया संख्या 1 अकेली को 1/20 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 अकेली को 3/10 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 अकेली को 3/20 हिस्सा भूमि का व प्रतिवादी संख्या 3 अकेले को 1/20 हिस्सा भूमि का व प्रतिवादी संख्या 4 अकेली को 1/20 हिस्सा भूमि का व प्रतिवादी संख्या 5 अकेली को 1/5 हिस्सा भूमि का व प्रतिवादी संख्या 6 अकेली को 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.22 10:04:53 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1272 / 2024
अनवान : –

1. ओमकला पुत्री मोहरसिंह पत्नी महेन्द्रसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर हाल निवासी रेवासी तहसील तारानगर जिला चुरू।

– वादी

बनाम्

1. मांगेराम पुत्र राजेराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. सतपालसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
3. मोहरसिंह पुत्र राजेराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
4. इन्द्रावती पुत्री मोहरसिंह पत्नी राजेश कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
5. गिरदावरी पुत्री राजेराम पत्नी सोहनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर हाल निवास केहरवाला तहसील व जिला सिरसा।
6. विमला पुत्री राजेराम पत्नी दलिप जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर हाल निवसी केहरवाला तहसील व जिला सिरसा।
7. राजेराम पुत्र भीयाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1272 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/03/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 197 / 197 की कुल 5.5390 हैक्ट भूमि व खाता स0 107 / 107 की कुल 3.3370 हैक्ट भूमि व खाता स0 178 / 191 की कुल 2.9340 हैक्ट भूमि में से में से 1 / 4 हिस्सा भूमि उक्त तीनो खातों में वादीया संख्या 1 अकेली को 1 / 20 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 अकेली को 3 / 10 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 अकेली को 3 / 20 हिस्सा भूमि का व प्रतिवादी संख्या 3 अकेले को 1 / 20 हिस्सा भूमि का व प्रतिवादी संख्या 4 अकेली को 1 / 20 हिस्सा भूमि का व प्रतिवादी संख्या 5 अकेली को 1 / 5 हिस्सा भूमि का व प्रतिवादी संख्या 6 अकेली को 1 / 5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.22 10:04:53 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर